14/8/19 पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित है। वादी के अधिवक्ता को आवाज दिलवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं हुआ एवं वादी भी उपस्थित नहीं है। अतः अदम हाजरी अदम पैरवी में प्रकरण खारीज किया जाता है। बाद दाखला पत्रावली नियम मुताबिक होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)